न्यायालय– मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

पीठासीन अधिकारी – शालिनी शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
क्लेम याचिका संख्या – 24/2021
सी.आई.एस. संख्या – 125/2017
सी.एन.आर. संख्या – RJAJ170005962017

1 श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्व. श्री सरदार उम्र 45 वर्ष
2 रामकुंवार पुत्र स्व. श्री सरदार उम्र 27 वर्ष
3 रघुवीर पुत्र स्व. श्री सरदार उम्र 25 वर्ष
निवासीगण ग्राम नोहरिया तहसील किशनगढ़ पुलिस थाना बांदरसिंदरी, जिला अजमेर (राज.)

– प्रार्थीगण

ब ना म

1. देवनारायण पुत्र श्री विश्राम उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी ग्राम नोहरिया पुलिस थाना बांदरसिंदरी, जिला अजमेर (राज.)
   (वाहन चालक व स्वामी ट्रेलर नंबर आर.जे.–01–जी.ए.–3529)
2. रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जरिए क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय शाखा कार्यालय–II फ्लोर, अमर प्लाजा, जेएलएन हॉस्पिटल के पास, अजमेर, जिला अजमेर (राज.)
   (बीमाकर्ता ट्रेलर नंबर आर.जे.–01–जी.ए.–3529)
3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. अजमेर मण्डल जरिए प्रबंधक पता कचहरी रोड अजमेर जिला अजमेर (राज.)
   (बीमाकर्ता ट्रेलर नंबर आर.जे.–01–जी.ए.–3529)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 140, 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988

संशोधित अधिनियम, 1994

उपस्थित –
1 प्रार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री देवकरण गुर्जर।
2 अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से – अधिवक्ता श्री उमराव चौधरी।
4 अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से – अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़।
5 अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से – अधिवक्ता श्री इन्द्रेश राम चंदानी।

– :: निर्णय :: –

दिनांक ::– 15.05.2026

1. प्रार्थीगण श्रीमती संतोष की ओर से धारा 140, 166 मोटर वाहन

अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने बाबत यह याचिका मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, किशनगढ (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, किशनगढ) के समक्ष दिनांक 05.07.2017 को प्रस्तुत की गई। उक्त याचिका निस्तारण हेतु माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के आदेशानुसार इस अधिकरण को अंतरित होकर प्राप्त हुई, जिसे नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. क्लेम याचिका में घटना का **संक्षिप्त में विवरण** इस प्रकार है कि दुर्घटना दिनांक 12.09.2008 को समय करीबन रात्रि 9 पी.एम. बजे पुलिस थाना बान्दरसिन्दरी से बजानिब पश्चिम दिशा बफासला 1 किलोमीटर की दूरी पर अन्नपूर्णा होटल से पहले करीब 100 मीटर थाना बान्दरसिन्दरी की तरफ की साइड में जयपुर से अजमेर की तरफ जाने वाली रोड एन.एच. 8 पर घटित हुई थी जब मृतक सरदार बान्दरसिन्दरी से नोहरिया जा रहा था तो रामलाल, जो कि मुण्डोती जाने के लिए सरदार को रोका और सरदार उसको मुण्डोती छोड़कर वापस आ गया और फिर सरदार अपने गांव जा रहा था तो विश्राम पुत्र श्योनारायण गुर्जर सरदार को मिला और आगे विश्राम और सरदार उसके पीछे गांव जा रहा था तो आगे से एक ट्रेलर/ट्रोला जिसके नम्बर आर.जे.01–जी.ए.–3529 था के चालक ने अपने ट्रेलर को तेजगति, गफलत व लापरवाही पूर्वक चलाकर सरदार के टक्कर मार दी, जिससे सरदार के शरीर पर जगह–जगह गंभीर चोटे कारित हुई, जिस पर सरदार को इतना ही ध्यान था जब तक सामने से एक जीप आ गई, उसमें लादू पुत्र रामजीवण गुर्जर व भागचन्द पुत्र किस्तुर खटीक आये और सरदार को उठाया फिर सरदार बेहोश हो गया। उसके बाद सरदार को राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ में इलाज हेतु भर्ती करवाया। उसके बाद हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसको अजमेर रैफर करने पर जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में भर्ती करवा कर इलाज करवाया। उसके बाद मित्तल हॉस्पिटल पुष्कर रोड, अजमेर में दो–तीन दिन तक भर्ती करवा कर इलाज करवाया। उसके बाद हालत ज्यादा गंभीर होने पर जयपुर रैफर करने पर एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर में भर्ती करवा कर इलाज एवं ऑपरेशन करवाया गया। उसके बाद सरदार के पैर का ऑपरेशन एवं इलाज करवाने के लिए भीलवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवा कर इलाज एवं ऑपरेशन करवाया गया। उसके बाद पुनः किशगनढ़, अस्पताल, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में भर्ती करवा कर इलाज करवाया गया तथा सरदार का दो–ढाई साल तक इलाज चला तथा इलाज के दौरान ही सरदार की जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में दिनांक 04.04.2011 को मृत्यु हो गई थी, इत्यादि।

3. उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बांदरसिंदरी में किए जाने पर प्रथम सूचना सं. 83/2008 दर्ज की जाकर तफ्तीश आरम्भ की व बाद अनुसंधान अदम पता वाहन व मुलजिम में एफ.आर. न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ में पेश की। अप्रार्थीगण दुर्घटना में लिप्त वाहन के चालक, मालिक व बीमा कम्पनी है, जो संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु उत्तरदायी है। अंत में क्लेम याचिका में क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

4. **अप्रार्थी संख्या 1** के द्वारा क्लेम याचिका का जवाब इस आशय का पेश किया कि आहत/मृतक द्वारा दुर्घटना दिनांक 12.09.2008 से 10 दिवस पश्चात् प्रश्नगत् दुर्घटना की रिपोर्ट जरिये एफ.आई.आर. सं. 83/2008 पुलिस थाना बान्दरसिन्दरी में दर्ज करवायी गयी है, आहत/मृतक/प्रार्थीगण द्वारा उक्त 10 दिवस की देरी के सम्बन्ध में एफआईआर तथा क्लेम याचिका में किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उपरोक्त अंकित एफ.आई.आर. सं. 83/2008 में अनुसंधान अधिकारी द्वारा बाद अनुसंधान सर्वप्रथम नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर दिनांक 29.10.2009 को हस्तगत पत्रावली को पुनः अनुसंधान हेतु भिजवाये जाने पर अदम पता वाहन मुलजिमान में पत्रावली बाद अनुसंधान पुनः सक्षम सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने पर दिनांक 26.09.2021 का केवल गवाह गोपी पुत्र रामदेव गुर्जर, श्योकरण पुत्र श्रवण गुर्जर के बयान को आधार बनाकर जो एफ.आई.आर. अनुसार वक्त घटना मौके पर मौजूद नहीं थे, के आधार पर पत्रावली में अप्रार्थी के पंजीकृत वाहन आर.जे. 01–जी.ए.–3529 के चालक के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 आई.पी.सी. के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर पत्रावली/केस डायरी सम्बन्धित थानाधिकारी को लौटाई गयी थी। एफ.आई.आर. में अंकित चश्मदीद गवाहों के बयान लेखबद्ध न किये जाने से विधि विरूद्ध है। हस्तगत क्लेम याचिका के साथ प्रार्थीगण द्वारा मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा साथ ही मृतक सरदार के लगातार तीन वर्षो तक इलाजरत रहने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज क्लेम याचिका के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। पोस्टमार्टन रिपोर्ट/इलाज के दस्तावेज के अभाव में मृतक सरदार की मृत्यु जो घटना से लगभग 3 वर्ष पश्चात् कारित हुई है, से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि मृतक सरदार की मृत्यु घटना दिनांक 12.09.2008 में कारित चोटों के परिणामस्वरूप न होकर अन्य कारणों से घटित हुई है। प्रार्थी के पंजीकृत स्वामित्व के वाहन सं. आर.जे.01–जीए –3529 को प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.01.2008 को कार्गो मोटर्स

प्राइवेट लिमिटेड अजमेर से क्रय किया गया था तथा क्रय दिनांक को ही उक्त वाहन का बीमा प्रार्थी द्वारा रिलायन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के यहां जरिये पॉलिसी सं./कवर नोट सं. 150100/31/07/6300026348 प्रभावी दिनांक 28.01.2008 से दिनांक 27.01.2009 तक के लिये बीमित करवाया जाने से बीमा कम्पनी जो क्लेम याचिका में आवश्यक पक्षकार होने से आवश्यक पक्षकार को पक्षकार न बनाए जाने के फलस्वरूप हस्तगत क्लेम याचिका खारिज किए जाने योग्य है। पंजीकृत स्वामित्व के वाहन से दिनांक 12.09.2008 को पुलिस थाना बांदरसिंदरी के क्षेत्राधिकार में अन्नपूर्णा होटल के पासआस जयपुर अजमेर एनएच 8 पर किसी तरह की कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई। अप्रार्थी जवाबकर्ता द्वारा दुर्घटना दिनांक को जवाबकर्ता द्वारा दुर्घटना घटित होने बाबत् स्पष्ट इनकार करने, रिपोर्ट में 10 दिवस की देरी बाबत् स्पष्टीकरण न करने, अनुसंधान अधिकारी द्वारा नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने, सक्षम न्यायालय द्वारा चश्मदीद गवाहों के अतिरिक्त अन्य गवाहों के आधार पर प्रसंज्ञान लेने, मृतक के लगातार रूप से तीन वर्ष तक इलाजरत् रहने के दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने, पत्रावली पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, आवश्यक पक्षकार बीमा कम्पनी को पक्षकार न बनाये जाने के बावजूद भी न्यायालय द्वारा किसी भी स्तर पर क्षतिपूर्ति हेतु अप्रार्थी जवाबकर्ता को उत्तरदायी ठहराया जाता है तो प्रार्थीगण अनुसार अंकित दुर्घटना दिनांक 12.09.2008 को उक्त वाहन सं. आर.जे.01–जी.ए.–3529 को अप्रार्थी जवाबकर्ता वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स के तहत चालन कर रहा था तथा समस्त दायित्वों हेतु अप्रार्थी जवाबकर्ता द्वारा उपरोक्त अंकित वाहन का बीमा रिलायन्स जरनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के यहां जरिये पॉलिसी/कवर नोट सं.–150100/31/07/6300026348 प्रभावी दिनांक 28.01.2008 से दिनांक 27.01.2009 तक बीमा करवाये जाने से सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि का उत्तरदायित्व उपरोक्त बीमा कम्पनी को ठहराया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का क्लेम प्रार्थना पत्र हर्जे–खर्चे सहित खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. **अप्रार्थी संख्या 2** के द्वारा क्लेम याचिका का **जवाब** पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा वाहन नं. आर.जे.–01–जीए–3529 का किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम वाहन स्वामी से प्राप्त नहीं किया गया है। वाहन स्वामी द्वारा उक्त बीमा पॉलिसी जो अधीनस्थ न्यायालय में अपने वाहन को सुपुर्दगीनामें पर लेते समय पेश की है, वह फर्जी तैयार करके पेश की है। बीमा कम्पनी द्वारा उक्त बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गयी है। इस कारण प्रार्थीगण, अप्रार्थी बीमा कम्पनी से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

“Authenticated Document”

उपरोक्त कथित दुर्घटना के समय वाहन नं. आर.जे.–01–जीए–3529 के चालक जो कि स्वयं वाहन स्वामी है, के पास वैध एवं प्रभावी लाइसेन्स नहीं था। जबकि तथाकथित वाहन की एम.वी.एक्ट में यह परम आवश्यक शर्त थी कि तथाकथित वाहन का चालन वाहन स्वामी वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स धारक से ही करेगा/करवायेगा। अन्यथा विपक्षी बीमा कम्पनी की किसी क्षतिपूर्ति की राशि की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा वाहन के स्वामी इस तथ्य से अवगत था कि उसके पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं है, फिर भी उसने तथाकथित वाहन का चालन किया। अतः विपक्षी बीमा कम्पनी किसी भी क्षतिपूर्ति की राशि अदायगी हेतु जिम्मेदारी नहीं है। बीमित वाहन का उपयोग अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना परमिट एवं बिना फिटनेस के किया जा रहा था, जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों एवं मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विपरित है व बीमा पॉलिसी में स्पष्ट एक परम आवश्यक शर्त है कि बीमित वाहन का उपयोग वाहन स्वामी द्वारा बिना परमिट एवं फिटनेस के नहीं किया जायेगा। अतः उत्तरदाता के विरूद्ध प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे सहित खारिज किए जाने का निवेदन किया।

6. **अप्रार्थी संख्या 3** के द्वारा क्लेम याचिका का **जवाब** पेश कर कथन किया कि प्रकरण में दिनांक 12.09.2008 की घटना उल्लेखित कर अप्रार्थी उत्तरकर्ता को प्रकरण में दिनांक 18.11.2025 को संयोजित किया गया है तथा अप्रार्थी को संयोजित किये जाने के पूर्व ही मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 की धारा 166 (3) में निम्न उपबन्ध किया गया था:– No application for compensation shall be entertained unless it is made within six months of the occurrence of the accident. तथा अधिनियम की धारा 21 इस बाबत् यह स्पष्ट उपबन्ध करती है 21. Effect of substituting or adding new plaintiff or defendant. (1) Where after the institution of a suit, a new plaintiff or, defendant is substituted or added, the suit shall, as regards him, be deemed to have been instituted when he was so made a party इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम के प्रावधानों अधीन अप्रार्थी उत्तरकर्ता के विरूद्ध मियाद से कालातीत होने कारण व्यय विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा क्लेम याचिका में वाहन सं. RJ 01–GA–3529 से अप्रार्थी नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. के सम्बन्ध, हितबद्धता, दायित्व बाबत् न तो पॉलिसी सं. बीमा समयावधि आदि के बाबत् किसी प्रकार का विवरण उल्लेखित नहीं किया गया है ना ही अप्रार्थी उत्तरकर्ता को बीमा सम्बन्धी दस्तावेज की नकल दी गयी है, जिसके रहते हुये, प्रस्तुत याचिका

प्रथम दृष्टया ही राजस्थान मोटर व्हीकल रूल्स 1990 के उपबन्धों अधीन आवश्यक सारभूत तथ्य दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में विधि से त्रुटियुक्त है। अप्रार्थी को प्रथम मर्तबा दिनांक 17.12.2025 की उपस्थिति बाबत् न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2025 को जारी सम्मन के निर्वहन पश्चात् इस प्रकरण के लम्बन प्रस्तुति का प्रथम मर्तबा संज्ञान हुआ है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी उत्तरकर्ता के विरूद्ध इस प्रकरण में उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 में वर्णित उपबन्ध को बिना प्रभावित किये, विकल्प में लेख है कि अप्रार्थी उत्तरकर्ता प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति राशि अदायगी के लिये दायित्वाधीन नहीं है। सरदार दुर्घटना दिनांक 12.09.2008 से 04.09.2011 तक सतत indoor patient के रूप में अस्पताल में भर्ती रहकर इलाजरत रहा हो एवं उसकी मृत्यु का कारण दिनांक 12.09.2008 को आयी चोटें हो, अस्वीकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा निम्न **विवाद्यक एवं अतिरिक्त विवाद्यक** कायम किए गए–

1. आया दिनांक 12.09.2008 को समय करीब रात्रि 9.00 पी.एम. पर पुलिस थाना बान्दरसिंदरी से बजानिब पश्चिम दिशा में बफासला एक किमी की दूरी पर अन्नपूर्णा होटल से पहले रोड एन.एच सं. 8 पर मृतक सरदार बान्दरसिंदरी से नोहरिया जा रहा था तभी अप्रार्थी सं. 1 ने अपने ट्रेलर/ट्रोला सं. आरजे 01 जीए 3529 को तेजगति, गफलत व लापरवाही पूर्वक चलाकर सरदार के टक्कर मार दी, जिससे वह चोटग्रस्त हो गया एवं दौराने इलाज दिनांक 04.04.2011 को उसकी मृत्यु कारित हुई?
2. आया बीमा कम्पनी के द्वारा जवाब क्लेम में उठायी गई आपत्तियों के अनुसार उनके विरूद्ध क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है?
3. आया दुर्घटना में सरदार की मृत्यु होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र की मद सं 25 में वर्णितानुसार विपक्षीगण से संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से 72,60,000/– रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है?
4. अनुतोष?

<u>**अतिरिक्त विवाद्यक**</u>

5. आया अप्रार्थी सं. 3 बीमा कंपनी द्वारा जवाब क्लेम में उठाई गई

आपत्तियों के आधार पर क्लेम याचिका खारिज होने योग्य है?

––अप्रार्थी सं. 3

8. प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं ए.डब्ल्यू. 1 संतोष देवी एवं ए.डब्ल्यू. 2 गोपीराम को पेश कर परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत 243 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाए गए।

9. उक्त क्लेम याचिका में अप्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में एन.ए.डब्ल्यू. 1 चन्द्र वीर सिंह को पेश कर परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए. 1 लगायत प्रदर्श एन.ए. 3 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया है।

10. उक्त क्लेम याचिका में उभयपक्षों की मौखिक बहस सुनी गई। तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया। उक्त याचिका में विरचित विवाद्यकों पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है–

विवाद्यक सं. 1, 2 व 5–

11. उपरोक्त तीनों विवाद्यकों की विषयवस्तु एक होने एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के लिये उक्त तीनों विवाद्यकों का विनिश्चय एक साथ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विवाद्यक संख्या 1 को प्रमाणित करने का भार प्रार्थीगण पर है। जबकि विवाद्यक सं. 2 व 5 को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर है।

12. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने पेश की गई याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया है कि मृतक सरदार दिनांक 12.09.2008 को करीबन रात्रि 9.00 बजे अपने गांव नोहरिया मोटरसाइकिल पर जा रहा था, उस समय **ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529** के चालक ने ट्रेलर को तेज गति, गफलत व लापरवाही पूर्वक चलाकर रॉन्ग साइड में आकर मोटरसाइकिल के टक्कर मारी, जिससे मृतक के साधारण व गंभीर प्रकृति की चोटें कारित हुई, गर्दन पर व पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती रहा। एसएमएस अस्पताल, जयपुर में उसके गले का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद गंभीर घायल अवस्था में भीलवाड़ा अस्पताल में पैर का फ्रैक्चर होने से ऑपरेशन करवाया गया। इस प्रकार मृतक दो ढाई साल तक इलाजरत रहा है। दिनांक 04.04.2011 को इलाज के दौरान मृतक की मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता मृतक के विधिक वारिसान है। दुर्घटना **ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529** के चालक अप्रार्थी सं. 1 देवनारायण की लापरवाही से हुई है। अतः क्षतिपूर्ति राशि जो याचिका में वर्णित है, उसे प्राप्त करने के अधिकारी हैं। मृतक परिवार का एकमात्र

कमाने वाला व्यक्ति था, जिसकी मासिक आय 15000/–रुपये थी, जिसकी मृत्यु से प्रार्थीगण को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सटी हुई है। अतः क्लेम याचिका को स्वीकार कर वांछित अनुतोष दिलाने का निवेदन किया।

13. दौराने बहस अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रकरण में एफआईआर 10 दिवस की देरी से दर्ज करवाई गई है। चश्मदीद गवाह को परीक्षित नहीं करवाया गया है। प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन अदम पता माल वाहन मुलजिम में पेश हुआ था। न्यायालय द्वारा केवल गवाह **गोपी, श्योकरण** के बयानों के आधार पर जो घटना के वक्त मौजूद नहीं थे, पंजीकृत वाहन के चालक के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया है, जो विधि विरुद्ध है। मृतक की पोस्टपार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। मृतक 3 वर्षों तक इलाजरत रहा हो, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं है। घटना के 3 वर्ष पश्चात मृत्यु होने से मृतक की मृत्यु घटना के फलस्वरुप आई चोटों के कारण ही हुई हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं है ना ही किसी चिकित्सक को परीक्षित करवाया गया है। अप्रार्थी का वाहन दिनांक 28.01.2008 को क्रय किया गया था। क्रय दिनांक को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के यहां जारी पॉलिसी सं./कवर नोट सं.– 150100/31/07/6300026348 प्रभावी दिनांक 28.01.2008 से दिनांक 27.01.2009 तक के लिए बीमित करवाए जाने से बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाने से क्लेम खारिज योग्य है। अप्रार्थी के वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई। अन्नपूर्णा होटल के आसपास एनएच 8 पर कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई। क्षतिपूर्ति राशि की मांग बढ़ा चढ़ाकर की गई है। अतः क्लेम याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

14. अप्रार्थी सं. 2 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 दो ने कथन किया है कि वाहन स्वामी द्वारा बीमा पॉलिसी/अधीनस्थ न्यायालय में अपने वाहन को सुपरूदगी पर लेते समय पेश की गई थी, वह फर्जी तैयार करके पेश की गई है। बीमा कंपनी द्वारा उक्त पॉलिसी जारी नहीं की गई है ना ही उक्त वाहन **ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529** का बीमा बरवक्त दुर्घटना बीमा कंपनी द्वारा किया गया है ना ही वाहन स्वामी ने इस बाबत कोई प्रीमियम अदा किया ना ही प्रार्थीगण द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश किया गया है। बढ़ा चढ़ाकर राशि अंकित की है। चालक के पास कोई वैध प्रभावी लाइसेंस नहीं था ना ही परमिट फिटनेस था। अतः ऐसी स्थिति में क्लेम याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

15. अप्रार्थी सं. 3 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रकरण में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दिनांक 18.11.2025 को

अप्रार्थी सं. 1 के निवेदन पर पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अतः मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 की धारा 166(3) के अनुसार अप्रार्थी सं. 3 के संबंध में क्लेम याचिका विहत समय अवधि 6 माह में पेश नहीं की गई है। इस संबंध में धारा 21 परिसीमा अधिनियम में भी पक्षकार बनाए जाने की दिनांक से ही पक्षकार बनाए गए व्यक्ति के विरुद्ध उस दिनांक को वाद संस्थित माना जाता है, जब उसे पक्षकार बनाया हो। अतः अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध याचिका कालातीत है, खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित क्लेम याचिका में दिनांक 12.11.2021 में वाहन अप्रार्थी सं. 2 के पास बीमित होने का अंकन है। अप्रार्थी सं. 2 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, अप्रार्थी सं. 3 के विरुद्ध न तो याचिका पेश की गई है ना क्षतिपूर्ति राशि की मांग की गई है ना ही कोई बीमा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त वाहन पूर्ण समुचित विवरण पेश नहीं होने से बीमित होना प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में अदम पता वाहन मुलजिम में मामला पेश हुआ था। एफआईआर अज्ञात ट्रेलर के विरुद्ध दर्ज हुई थी। बाद में परिवादी ने उक्त ट्रेलर को जानबूझकर प्रकरण में गलत तौर पर लिप्त किया है। मृतक सरदार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व इलाज संबंधी दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। मृतक की जो मृत्यु हुई है, वह कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है, दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों के कारण नहीं हुई है। मृतक दिनांक 12.09.2008 को दुर्घटना दिनांक से दिनांक 04.04.2011 मृत्यु दिनांक तक सतत इंडौर पेशेंट के रूप में अस्पताल में भर्ती रहा हो और उसकी मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं है। मृतक की मृत्यु का कारण घटना का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। मांग राशि बढ़ा चढ़ाकर अंकित की गई है। आवश्यक दस्तावेज परमिट, पॉल्यूशन, फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध अनुज्ञा पत्र पेश नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त क्लेम को खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

16. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन परिशीलन किया गया। जहां तक मृतक का दिनांक 12.09.2008 को रात्रि 9.00 बजे अन्नपूर्णा होटल से पहले रोड एनएच 8 पर बांदरसिंदरी से नोहरिया जाते समय **ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529** द्वारा तेज गति, लापरवाही व गफलत से टक्कर मारने व उसके फलस्वरुप चोटग्रस्त होने का व इलाज के दौरान दिनांक 04.04.2011 को मृत्यु होने का प्रश्न है तो इस संबंध में याचिकाकर्ता **संतोष देवी ए.डब्ल्यू. 1** ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में अपने याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है।

17. **गवाह ए.डब्ल्यू. 1 संतोष देवी** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 12.09.2008 को समय करीबन रात्रि 9 बजे उसका पति बांदरसिंदरी से नारिया आ रहा था। अन्नपूर्णा होटल से पहले सही दिशा में चलते हुए के गलत दिशा से आते हुए ट्रेलर नं. **आर.जे.–01–जी.ए.–3529** के चालक ने तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए उसके पति सरदार के मोटरसाइकिल के सामने से टक्कर मारी, जिससे उसके पति के शरीर पर जगह–जगह चोटें आई और बाइक से नीचे गिर गये। उक्त ट्रेलर के नम्बर उन्होंने ही देखें थे और मौके की स्थिति पर काफी लोग एकत्रित हो गए थे। उसका पति बेहोश हो गया था। उसके बाद में उन्हें राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल किशनगढ़ में भर्ती करवाया गया। हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें अजमेर जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां इलाज कराकर मित्तल अस्पताल अजमेर में भर्ती करवाया। दो तीन दिन इलाज करवाया, उसके बाद हालत ज्यादा गंभीर होने से उन्हें जयपुर एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां इलाज चला जयपुर जाते समय पुलिए थाना बांदरसिंदरी में उसके पति सरदार ने ही रिपोर्ट स्वहस्तलिखित दी थी।

18. उसके बाद जपपुर में लंबा इलाज चला। भीलवाड़ा में भी उनका इलाज चला। दुर्घटना से लगातार दो ढाई साल तक इलाजरत रहे। उसमें बाद दिनांक 04.04.2011 को जेएलएन अजमेर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वह और उसका परिवार उसके पति की आय पर ही आश्रित थे। उसके द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका में फौजदारी व मेडिकल दस्तावेज संलग्न है, जो प्रदर्श पी. 1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी. 2 एफ.आई.आर., प्रदर्श पी. 3 नक्शामौका, प्रदर्श पी. 4 चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श पी. 5 फर्द सुपुर्दगी मोटरसाइकिल, प्रदर्श पी. 6 चार्जशीट, प्रदर्श पी. 7 न्यायालय के आदेश की प्रति, प्रदर्श पी. 8 नाराजगी याचिका, प्रदर्श पी. 9 प्रति प्रार्थना पत्र पुनः अनुसंधान प्रकरण, प्रदर्श पी. 10 प्रार्थना पत्र प्रति (वास्ते मृतक के पुत्र को रिकॉर्ड पर लेने), प्रदर्श पी. 11 फर्द जब्ती ट्रेलर, प्रदर्श पी. 12 फर्द जब्ती ट्रेलर, प्रदर्श पी. 13 न्यायालय द्वारा वाहन जब्त करने बाबत पी.एस. बांदरसिंदरी को दिए आदेश की प्रति, प्रदर्श पी. 14 प्रति तामील, प्रदर्श पी. 15 जिला परिवहन अधिकारी को न्यायालय द्वारा जारी तहरीरी, प्रदर्श पी. 16 तहरीर पुलिस थाना बांदरसिंदरी, प्रदर्श पी. 17 न्यायालय द्वारा वाहन को जब्त करने बाबत थाने को तहरीर की प्रति, प्रदर्श पी. 18 पालना रिपोर्ट पी.एस. बांदरसिंदरी, प्रदर्श पी. 19 नोटिस 133 एमवी एक्ट, प्रदर्श पी. 20 फर्द जब्ती ट्रेलर प्रकरण सं. 25/2016, प्रदर्श पी. 21 पता वाहन मालिक, थाने द्वारा, प्रदर्श पी. 22 आपराधिक प्रकरण में वाहन जब्त करने बाबत, प्रदर्श पी. 23 डी.एल वाहन

“Authenticated Document”

चालक, प्रदर्श पी. 24 आर.सी. वाहन चालक, प्रदर्श पी. 25 परमिट वाहन, प्रदर्श पी. 26 परमिट वाहन, प्रदर्श पी. 27 सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, प्रदर्श पी. 28 न्यायालय द्वारा रिलीज ऑर्डर, प्रदर्श पी. 29 लगायत 48 मेडिकल व दवाई बिल तथा भर्ती टिकट, प्रदर्श पी. 49 मृत्यु प्रमाण पत्र सरदार, प्रदर्श पी. 50 लगायत 240 मेडिकल बिल व दवाइयों बिल, प्रदर्श पी. 241 रपट रोजनामचा, प्रदर्श पी. 242 बैड हैड टिकट की रसीद, प्रदर्श पी. 243 भर्ती टिकट है।

19. **अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 06.09.2025 को की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि दुर्घटना मे संलिप्त वाहन का बीमा दुर्घटना दिनांक को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के यहां बीमित हो तो वह नहीं बता सकती। अजखुद कहा कि वह अनपढ़ है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि वह दुर्घटना स्थल पर मौजूद नहीं थी। यह बात सही है कि दुर्घटना की रिपोर्ट उसने दर्ज नहीं करवाई। यह बात सही है 10 दिन बाद दर्ज कराई थी। उसने क्लेम प्रार्थना पत्र में अपने पति की मासिक आय व कार्य करने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। उसके द्वारा पत्रावली पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी कवर नोट/बीमा कवर पॉलिसी पेश नहीं की गई ना ही प्रदर्शित करवाई है। यह बात सही है कि उसके पति के पोस्टमार्टम बाबत कोई दस्तावेज उसने पत्रावली पर पेश नहीं किया। यह बात सही है कि उसके द्वारा पत्रावली पर ज्यादातर इलाज की पर्चियां पेश नहीं है। उसके पति के दुर्घटना में चोटग्रस्त होने के कारण मृत्यु हुई या नहीं यह वह स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकती। अजखुद कहा कि लगातार इलाज चल रहा था। यह कहना सही है कि वाहन चालक व वाहन स्वामी उनके गांव का है व उनके समाज का है। यह कहना सही है कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का बीमा नहीं था और उन्होंने गलत पक्षकार मुकदमा बनाया है। अजखुद कहा कि वाहन स्वामी ने कौन सी कंपनी का बीमा पेश किया, यह वह नहीं बता सकती।

20. गवाह ने दिनांक 15.04.2026 को हुई साक्षी में यह कथन किया है कि यह बात सही है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बनाए जाने का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। यह बात सही है कि उसकी क्लेम याचिका दिनांक 12.11.2021 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पक्षकार नहीं है। यह बात सही है कि पत्रावली पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का कवर नोट अथवा बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की गई है। यह बात सही है कि पत्रावली पर प्रस्तुत रोजनामचा प्रदर्श पी 241 के अनुसार अज्ञात वाहन से दुर्घटना घटित होना प्रमाणित है एवं अंकित है प्रदर्श 6 पुलिस प्रतिवेदन में ए से बी के मध्य संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात एफआर दी गई थी, जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने विलंब से एफआईआर दर्ज करवाने का

कारण गाड़ी सेट करना भी बताया है। यह सही है कि इस पत्रावली पर उसके पति की कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। यह बात सही है कि दिनांक 21.01.2009 से 04.04.2011 के मध्य उसके पति की सतत इलाज की चिकित्सीय पर्ची, दवाइयों के बिल आदि पेश नहीं किए गए हैं। अजखुद कहा कि उसने अपने पति के इलाज से संबंधित सभी दस्तावेज पेश कर दिए हैं। यह बात सही है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का मैकेनिकल मुआयना पेश नहीं किया है। उसे जानकारी नहीं है की प्रदर्श 246 में उसके पति को हृदयघात के कारण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया हो और उनकी ईसीजी रिपोर्ट में इसमें उन्होंने पेश की हो। यह बात सही है कि पत्रावली पर चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं है कि उसके पति की मृत्यु दुर्घटना के कारण आई चोटों से हुई हो। उसके पति की मृत्यु बाबत कोई चिकित्सकीय प्रमाण पत्र नहीं है। अजखुद कहा कि वह दो–तीन साल तक लगातार इलाजरत रहे थे। यह सही है कि आपराधिक प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 दोषमुक्त हो गया हो तो उसे जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई।

21. अन्य गवाह ए.डब्ल्यू. 2 गोपी ने भी अपने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में याचिकाकर्ता ए.डब्ल्यू. 1 संतोष देवी के कथनों के समरूप ही कथन करते हुए यह कथन किए हैं कि दिनांक 12.09.2008 को समय शाम करीब 9.00 बजे के आस–पास वह अपनी खेती बाडी देखकर पैदल–पैदल अपने निवास स्थान गांव नोहरिया आ रहा था, उसके साथ में श्योकरण भी था, उसी समय सरदार गुर्जर अपनी स्वयं की मोटरसाइकिल से बान्दरसिन्दरी से गांव नोहरिया की ओर आ रहा था, तभी अचानक किशनगढ़ की तरफ से एक वाहन ट्रेलर नं आर.जे.–01–जी.ए.–3529 के चालक ने उक्त वाहन को तेज गति गफलत से चलाता हुआ आया और रॉग साइड में आकर सरदार के टक्कर मार दी, जिसके कारण सरदार गम्भीर रूप से चोटग्रस्त होकर गिर गया तथा कुछ देर बाद ही सरदार बेहोश हो गया। तत्पश्चात दुर्घटना स्थल मौजूद व्यक्तियों ने सरदार को जीप से यज्ञनारायण अस्पताल किशनगढ लेकर गये, जहां सरदार की गम्भीर हालत के कारण प्राथमिक उपचार के पश्चात अजमेर के लिये रेफर कर दिया गया। तत्पश्चात उसे जयपुर तथा भीलवाडा भी सरदार का काफी समय तक इलाज चला, परन्तु दुबारा जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर में इलाज के लिये भर्ती कराया गया, जहां दिनांक 04.04.2011 को इलाज के दौरान सरदार की मृत्यु हो गयी। यह दुर्घटना उपरोक्त ट्रेलर के चालक की गलती के कारण कारित हुई थी।

22. **जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, हस्ताक्षर करने आते हैं और गिनती आती है। उसे ए–बी–सी–डी– जेड तक नहीं आती है। किसी

गाड़ी के नंबर में एबीसीडी लिखा हुआ नहीं बता सकता हो, इस सुझाव को गलत होना बताया है। यह भी कथन किया है कि दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। थाने में फोन नहीं किया, उसके सामने नक्शा मौका नहीं बनाया, उसके सामने कोई वाहन जप्त नहीं हुआ।

23. अन्य गवाह एन.ए.डब्ल्यू. 1 चन्द्रवीर सिंह को अप्रार्थी की ओर से परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह कि वाहन संख्या आर.जे. 01 जीए 3529 का बीमा उनकी बीमा कम्पनी द्वारा दिनांक 28.01.2009 से 27.01.2010 तक की अवधि के लिए गुडस केरींग व्हीकल्स पैकेज पॉलिसी के तहत देवनारायण गुर्जर के नाम से जारी किया गया था, उसकी बीमा पॉलिसी प्रदर्श एन.ए. 01 है। उक्त बीमा पॉलिसी उनके द्वारा नेशनल इन्शयोरेंस कम्पनी का बीमा वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 28.01.2008 से 27.01.2009 तक की अवधि का होना बताते हुए उनकी बीमा कम्पनी ने बीमा पॉलिसी जारी की है। इस संदर्भ में रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा एक पत्र भी दिनांक 28.01.2009 को नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी एलआईसी बिल्डिंग अम्बेडकर सर्किल को नो क्लेम बोनस के कन्फर्मेशन के लिए जारी किया गया था जो प्रदर्श एनए 02 है। कथित दुर्घटना दिनाक 12.09.2008 को प्रार्थीगण द्वारा होना बताया है जबकि रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी की बीमा पॉलीसी 28.01.2009 से 27.01.2010 तक के लिए जारी की गई थी। कथित दुर्घटना दिनांक को वाहन संख्या आरजे 01 जीए 3529 रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी में बीमित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी बीमा कम्पनी से किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उनकी कम्पनी द्वारा प्रीमियम की कम्प्यूटरजनित प्रति न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जो प्रदर्श एनए 03 है जिसमें 12 पेज है। उक्त कम्प्यूटरजनित प्रीमियम में वाहन संख्या आरजे 01 जीए 3529 का भी कोई प्रीमियम उनकी कम्पनी द्वारा नहीं लिया गया है। कथित दुर्घटना दिनांक को वाहन संख्या आरजे 01 जीए 3529 उनकी बीमा कम्पनी रिलायंस जनरल इन्श्योरेसं कम्पनी में बीमित नहीं होने के कारण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

24. **अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही हे कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श एनए 1 लगायत प्रदर्श एनए 3 उनकी कंपनी की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रश्न– दस्तावेज प्रदर्श एनए 2 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का नहीं है, इस पर आपकी कंपनी की सील लगी हुई है, आपको क्या कहना है?

उत्तर– प्रदर्श एनए 2 उनकी कंपनी द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कपंनी को जारी किया हुआ नो क्लेम बोनस कंफर्मेशन लैटर है जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी नंबर 150100/31/07/6300026348 है जिसका पॉलिसी कवरेज 28.01.2008 से 27.01.2009 है।

25. यह कहना सही है कि प्रदर्श एनए 2 के द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से इसे स्वीकार करने की कहीं भी सील या हस्ताक्षर नहीं है अजखुद कहा कि कंफर्मेशन लैटर जारी करने के बाद ही वाहन स्वामी को 20 प्रतिशत एनसीबी दिया है। यह कहना गलत है कि उनकी कंपनी की ओर से कंफर्मेशन लेटर इस पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया हो अजखुद कहा कि प्रदर्श एनए 2 कंफर्मेशन लैटर ही है। यह कहना गलत है कि वाहन संख्या आरजे 01 जीए 3529 का बीमा दिनांक 28.01.2008 से 27.01.2009 तक उनकी कंपनी के यहां किया गया हो और उत्तरदायित्व से बचने के लिए वह आज झूठे बयान दे रहा हो।

26. **अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 द्वारा की गई जिरह** में गवाह ने कथन किया है कि वह रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत है। यह कहना सही है कि बीमा कंपनी मे विधि अधिकारी होने के नाते उसे बीमे तथा बीमा किस प्रक्रिया को अपनाकर किया जाता है, के संबंध मे पूरी जानकारी है। अजखुद कहा कि जिसको उनको ऑपरेशन डिपार्टमेंट फॉलो करता है। 28.01.2009 को प्रदर्श एनए 2 में जो नो क्लेम बोनस कंर्फमेशन अंकित है का तात्पर्य है कि नेशनल इंश्योरेंस का जो बीमा 28.01.2008 से 27.01.2009 की अवधि के लिए था उसमें वाहन संख्या आरजे 01 जीए 3529 के वाहन स्वामी के द्वारा उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान कोई क्लेम नहीं लिया गया है तथा क्लेम नहीं लेने पर पुनः बीमा लेने पर उन्हें बीमाधारक को छूट मिलती है, इस वाहन संख्या आरजे 01 जीए 3529 के वाहनस्वामी को उनकी कंपनी द्वारा एनसीबी कंफर्मेशन लैटर के बाद 20 प्रतिशत नो क्लेम बोनस के रूप मे छूट दी गई थी जो प्रदर्श एनए 2 के ए–बी भाग में अंकित है। दिनांक 28.01.2009 को उनके द्वारा प्रेषित प्रदर्श एनए 2 के संबंध में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जवाब तो आया परंतु उनके द्वारा पत्रावली पर पेश नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श एनए 2 मे ए–बी जो 20 प्रतिशत एनसीबी हेतु अंकन किया गया है वह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त जवाब के आधार पर ही उनकी कंपनी के द्वारा किया गया है। <u>यह कहना सही है कि उनके द्वारा प्रेषित प्रदर्श एनए 2 के अनुसार वाहन ट्रेलर संख्या आरजे 01 जीए 3529 दिनांक 28.01.2008 से 27.01.2009 के मध्य जरिये बीमा पॉलिसी नंबर 150100/31/07/6300026348 द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के यहां तृतीय</u>

पक्ष को होने वाली क्षति के लिए बीमित था।

27. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्थिति उभर कर प्रकट होती है कि याचिकाकर्ता ने अपनी साक्ष्य में अपने पति का दिनांक 12.09.2008 को समय करीबन रात्रि 9.00 बजे बांदरसिंदरी से नोहरिया आना, अन्नपूर्णा होटल से पहले सही दिशा में चलते हुए के गलत दिशा से आकर ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529 के चालक द्वारा तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए उसके पति सरदार की मोटरसाइकिल के सामने से टक्कर मारने का कथन किया है, जिससे उसके पति के शरीर पर जगह–जगह चोटें आई हैं, वह बेहोश हो गया व उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया। यद्यपि उक्त गवाह ने जिरह में स्वयं का मौके पर मौजूद होने से इनकार किया है, परंतु दस्तावेजी साक्ष्य में घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, नक्शामौका प्रदर्श पी. 3, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4, फर्द सुपुर्दगी मोटरसाइकिल प्रदर्श पी 5, अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श 6, प्रदर्श पी 7 न्यायालय के आदेश की प्रति, प्रदर्श पी 8 नाराजगी याचिका, प्रदर्श पी 9 पुनः अनुसंधान बाबत प्रार्थना पत्र की प्रति, फर्द जब्ती ट्रेलर प्रदर्श पी 12, वाहन को जप्त करने बाबत न्यायालय की तहरीर प्रदर्श पी 17, प्रदर्श पी 19 नोटिस अंतर्गत धारा 133 एमवी एक्ट, प्रदर्श पी. 20 फर्द जब्ती ट्रेलर प्रकरण सं. 25/2016, प्रदर्श पी. 23 डी.एल. वाहन चालक, प्रदर्श पी 24 आरसी, प्रदर्श पी. 25 परमिट, प्रदर्श पी. 26 परमिट, प्रदर्श पी. 27 प्रमाण पत्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, प्रदेश 28 न्यायालय का रिलीज ऑर्डर पेश किया है। उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया जाए तो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 1 जो मृतक ने स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया जाना याचिकाकर्ता ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है, जिसका खंडन उसकी जिरह में नहीं हुआ है। उक्त लिखित रिपोर्ट में मृतक ने दिनांक 12.09.2008 को बांदरसिंदरी से नोहरिया जाते समय तो विश्राम पुत्र शिवनारायण उसे मिला और आगे और वह पीछे जा रहा था तो आगे से एक ट्रोला जिसके नंबर आर.जे.–01–जी.ए.–3529 थे, उसने उसके टक्कर मार दी। सामने से एक जीप आ गई, जिसमें लादू व भागचंद आए और उठाया फिर वह बेहोश हो गया। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 83/2008 दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन अदम पता वाहन मुलजिम प्रदर्श पी. 6 प्रस्तुत की गई व उक्त अनुसंधान में परिवादी द्वारा जानबूझकर क्लेम उठाने के लिए जानकार ट्रेलर के नंबर लिखने का भी अंकन किया है। झूठे ट्रेलर नंबर बताया जाना भी कथित किया है। न्यायालय में प्रोटेस्ट याचिका प्रदर्श पी 8 प्रस्तुत होने पर दिनांक 26.09.2011 के आदेश द्वारा आपत्ति याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने परिवादी व गवाहन के बयानों

के आधार पर वाहन ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529 के चालक के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया व उक्त वाहन को बरवक्त दुर्घटना कौन चला रहा था, इस संबंध में पुलिस थाना बांदरसिंदरी से सूचना प्राप्त करने पर उक्त वाहन के चालक व मालिक का जवाब प्रदर्श पी 19 प्रस्तुत किया गया जिसमें पंजीकृत मलिक ने उक्त दिनांक को उक्त वाहन स्वयं के द्वारा चलाया जाना बताया। प्रार्थीगण द्वारा वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस प्रदर्श पी 23, आरसी प्रदर्श पी. 24, परमिट प्रदर्श पी 25 व 26 को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है। इस प्रकार से याचिकाकर्ता द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, उनके आधार पर वाहन ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529 के चालक द्वारा मृतक के तेज गति व लापरवाही से ट्रेलर को चलाते हुए मोटरसाइकिल के टक्कर मारना, जिसके फलस्वरुप उसके चोटें आने का तथ्य प्रकट हुआ है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने घटना के चश्मदीद साक्षी के रूप में ए.डब्ल्यू. 2 गोपीराम को परीक्षित करवाया है। उक्त गोपी राम ने भी अपनी साक्ष्य में दुघर्टना की ताईद की है, जिसका उसकी जिरह में खंडन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की ओर से घटना दिवस का रोजनामाचा प्रदर्श पी. 241 भी साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसमें भी दिनांक 12.09.2008 को उक्त दुर्घटना कारित होने बाबत अंकन है। रोजनामचा क्रमांक 358 समय 9.20 पीएम का है, जो याचिका में बताए गए समय के लगभग है। यद्यपि उक्त रोजनामचा में अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना कारित करने का अंकन है, परंतु मृतक ने दुर्घटना होने के पश्चात स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें उसने वाहन के नंबर भी अंकित किए हैं। उक्त वाहन के चालक अप्रार्थी सं. 1 ने दौराने अनुसंधान अपने धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस के जवाब में स्वयं द्वारा उक्त वाहन को उक्त दिनांक, समय, स्थान पर चलाए जाने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में उक्त वाहन ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529 के चालक द्वारा दिनांक 12.09.2008 को उक्त दुर्घटना कारित करने का तथ्य प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त नक्शामौका प्रदर्शि पी. 3 में भी एक्स स्थान पर दुर्घटना कारित होना बताया है। उक्त नक्शे मौके से यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि मृतक की स्वयं की दुर्घटना में कोई गलती या उपेक्षा रही हो, उक्त नक्शा मौका में अनुसंधान अधिकारी ने घटना घटित होने के बाद दिनांक 12.09.2008 को घटनास्थल पर पहुंचना, जहां मजरूब सरदार व उसकी मोटरसाइकिल पड़ी थी व दुर्घटना की बात को सत्य होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 12.09.2008 को मृतक का मोटरसाइकिल पर अपने गांव बांदरसिंदरी से नोहरिया की तरफ जाना तथा वाहन चालक द्वारा ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मृतक की मोटरसाइकिल के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने का तथ्य प्रमाणित है।

28. दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट 10 दिन के विलंब से पेश होने से घटना को संदेहास्पद होना बताया है परंतु प्रकरण में घटना दिवस का रोजनामचा प्रदर्श पी. 241 पेश किया गया है, जिससे दुर्घटना दिनांक 12.09.2008 को होने का तथ्य प्रकट है। उक्त रोजनामचे में मृतक को दुर्घटना के पश्चात वाय.एन.एच. किशनगढ़ ले जाना, सीरियस होने पर जेएलएन अस्पताल में रेफर करना अंकित किया है। अतः ऐसी स्थिति में घटना दिवस को या ऐसी स्थिति में जबकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय दस्तावेज के आधार पर भी वह अस्पतालों में भर्ती रहा, तब उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने से ज्यादा आवश्यक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का इलाज करवाना है। अतः ऐसी स्थिति में 10 दिन के विलंब से जो प्रथम सूचना दर्ज करवाई गई है, उससे दुर्घटना कारित नहीं हुई हो, इस तथ्य को संदेहास्पद नहीं बताता है। अतः अप्रार्थीगण के उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

29. इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529 के चालक अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उसे तेज गति, गफलत व लापरवाही पूर्वक चलाकर मृतक सरदार के टक्कर मारना, जिससे उसका चोटग्रस्त होने का तथ्य साक्ष्य से प्रमाणित है। उक्त दुर्घटना में मृतक के शरीर पर चोटें आने के संदर्भ में दस्तावेज प्रदर्श पी 4 चोट प्रतिवेदन को प्रदर्शित करवाया गया है, जो घटना दिनांक 12.09.2008 को समय 9.50 पीएम पर बनाया गया है जिसमें उसके शरीर के विभिन्न भागों पर चोटें आई है। इसके अतिरिक्त मृतक के अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए हैं व जांच रिपोर्ट, चिकित्सकीय पर्ची, मेडिकल बिल इत्यादि को पेश किया गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि दुर्घटना के पश्चात आई चोटों के कारण मृतक विभिन्न अस्पतालों में भर्ती रहा है, जिसमें प्रदर्श पी. 38 डिस्चार्ज समरी मित्तल हॉस्पिटल जहां मृतक दिनांक 14.09.2008 से दिनांक 22.09.2008 तक भर्ती रहा, प्रदर्श पी. 39 डिस्चार्ज यूनिट थर्ड एसएमएस अस्पताल दिनांक 24.09.2008 से दिनांक 10.10.2008 तक भर्ती रहा प्रस्तुत किए गए हैं। मृतक के दुर्घटना के फलस्वरुप आई चोटों में उसके इलाज के दस्तावेजों से यह प्रकट होता है कि उसके पैर में बायीं फीमर हड्डी में तथा मेन्डीबल (जबड़े) की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है तथा गले में और सांस की नली का डैमेज Pharyngeal rupture और Trachea की मरम्मत की गई, थायराइड की कार्टिलेज को भी क्षति पहुंची है। मृतक के गले में सर्जरी की गई। ट्रैकियोटोमी के द्वारा कृत्रिम श्वांस नली भी लगाई गई। इस प्रकार से दुर्घटना के

फलस्वरूप मृतक के चोटें आना याचिकाकर्ता द्वारा प्रमाणित किया गया है।

30. दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि मृतक के दुर्घटना के फलस्वरुप आई चोटों के परिणामस्वरुप उसकी मृत्यु हुई हो इस बाबत याचिकाकर्ता द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अतः उक्त तथ्य साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो याचिकाकर्ता द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य, चिकित्सकीया जांच, पर्ची, बिल इत्यादि पेश किए गए हैं तथा मृतक के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती रहने बाबत दस्तावेज पेश किए गए हैं, वे सभी दस्तावेज वर्ष 2008 के दस्तावेज हैं जबकि मृतक की मृत्यु होने बाबत जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं व प्रदर्श पी 243 जेएलएन अस्पताल अजमेर का इंदौर बेड हेड टिकट पेश किया गया है, जो दिनांक 04.04.2011 का है, जिसमें मृतक के इलाज के दौरान काफी प्रयासों के पश्चात भी उसे बचाया नहीं जा सका व उसकी मृत्यु होने का तथ्य अंकित किया गया है। उक्त दस्तावेज में मृतक की मृत्यु का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है परंतु जो इलाज किया गया है वह उसके रेस्पिरेटरी कार्डियक अरेस्ट के संबंध में होना प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त उक्त दस्तावेज पर जो मेडिकल हिस्ट्री अंकित की गई है उसमें लंग्स डिजीज विद ओल्ड कोच टेस्ट चेस्ट अंकित है अर्थात मृतक को पुराने फेफड़ों की बीमारी थी। मृतक ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित था। प्रार्थीगण द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, वे वर्ष 2008 के पेश किए गए हैं जबकि मृतक की मृत्यु वर्ष 2011 में हुई है एवं वर्ष 2009 व वर्ष 2010 में भी मृतक लगातार चोटों के फलस्वरूप दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरुप बेड पर रहा हो, हिलने डुलने में असमर्थ रहा हो व दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों के फलस्वरूप ही उसकी दिनांक 04.04.2011 को मृत्यु हुई हो, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं ना ही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की गई है ना ही उक्त चिकित्सा के दस्तावेज प्रदर्श पी 246 के संबंध में किसी चिकित्सीय गवाह को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में मृतक की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप हुई हो या मृतक की मृत्यु का चोटों से सीधा संबंध रहा हो यह तथ्य साक्ष्य से प्रकट नहीं हुआ है। यद्यपि याचिकाकर्ता ने अपनी मौखिक साक्ष्य में उसके दुर्घटना के पश्चात दो ढाई साल तक इलाजरत रहना बताया है परंतु केवल वर्ष 2008 के ही दस्तावेज पेश किए गए हैं। जिरह में गवाह ने इलाज के समस्त दस्तावेज पेश करने का कथन किया है परंतु वर्ष 2009 वर्ष 2010 के इलाज के कोई दस्तावेज पेश नहीं है। अतः दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरुप मृतक की मृत्यु होने का तथ्य प्रमाणित नहीं

“Authenticated Document”

है।

31. दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अप्रार्थी संख्या 3 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने घटना में आलिप्त **ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529** का बीमा उनकी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं होना बताया है। याचिकाकर्ता ने भी अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा उक्त वाहन का बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में जबकि याचिकाकर्ता द्वारा घटना में संलिप्त वाहन का कोई बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त वाहन घटना दिवस को बीमित हो यह तथ्य प्रकट नहीं होता है। इसके विपरीत अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपनी जवाब याचिका में उक्त वाहन का रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बीमित होना बताया है, परंतु ऐसी कोई बीमा पॉलिसी पेश नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त वाहन दुर्घटना दिनांक को बीमित हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है। बीमा कंपनी की आपत्ति माने जाने योग्य है।

32. जहां तक दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के पास डी.एल., आरसी, परमिट नहीं होने का प्रश्न है तो इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदर्श पी 23, आरसी प्रदर्श पी. 24, परमिट प्रदर्श पी 25 व 26 पेश किए गए हैं, जिनसे अप्रार्थीगण के उक्त तथ्यों का खण्डन होता है। अतः उक्त आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से दुर्घटना कारित होना, **ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529** के चालक द्वारा तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाते हुए मृतक सरदार की मोटरसाइकिल के टक्कर मारना, जिसके फलस्वरुप उसके चोटें आना, उसका विभिन्न अस्पतालों में भर्ती रहना साक्ष्य से प्रमाणित है परंतु दुर्घटना वर्ष 2008 के ही चिकित्सीय दस्तावेज पेश किए गए हैं एवं वर्ष 2009 वर्ष 2010 के दस्तावेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश नहीं करने से तथा चिकित्सीय गवाहान को पेश कर परीक्षित नहीं करवाए जाने से यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है कि मृतक के दुर्घटना में जो चोटें आई थी उसके फलस्वरूप ही उसकी मृत्यु दिनांक 04.04.2011 को हुई हो। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक सं. 1 प्रार्थीगण आंशिक रूप से अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहे हैं तथा अप्रार्थीगण विवाद्यक सं. 2 व 5 को अपने पक्ष में साबित करने में आंशिक रूप से सफल रहे हैं। अतः विवाद्यक सं. 1 को आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष तय किया जाता है व विवाद्यक सं. 2 व 5 आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाद्यक सं. – 3

33. उक्त विवाद्यक में दुर्घटना के फलस्वरूप प्रार्थीगण को दिए जाने योग्य प्रतिकर राशि एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण के संबंध में प्रश्न का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। उक्त विवाद्यक के संबंध में प्रार्थीगण ने मृतक सरदार की बरवक्त दुर्घटना आयु 38 वर्ष होना बताया है तथा उसके द्वारा वक्त दुर्घटना खेती बाड़ी, दूध, पशु पालन, खुली मजदूरी के कार्य से 15,000/–रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया है। साक्ष्य में भी बतौर गवाह ए.डब्ल्यू. 1 संतोष देवी ने अपने पति की दुर्घटना के समय 38 वर्ष की आयु होना, मजदूरी व खेती बाड़ी से पन्द्रह हजार रुपये मासिक आय अर्जित करना बताया है, परंतु जिरह में गवाह ने अपने पति की आय व कार्य करने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जाना बताया है। इसके साथ ही यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि हस्तगत प्रकरण के प्रार्थीगण द्वारा तथाकथित दुर्घटना में मृतक सरदार के आई चोटों के परिणामस्वरूप ही उसकी तीन वर्ष पश्चात् मृत्यु कारित हुई हो, यह तथ्य साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण मृतक सरदार की दुर्घटना से मृत्यु बाबत कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, परंतु प्रार्थीगण द्वारा विवाद्यक सं. 1 में दुर्घटना के तथ्य को अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया गया है तथा दुर्घटना के फलस्वरूप चोट आना व उनके इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती होने के तथ्य को प्रमाणित किया है, जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण मृतक सरदार के दुर्घटना में चोटिल होने के परिप्रेक्ष्य में क्षतिपूर्ति राशि आदि प्राप्त करने के अधिकारी पाए जाते हैं।

34. उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर उक्त विवाद्यक के तहत दुर्घटना के फलस्वरूप प्रार्थीगण को दिए जाने योग्य प्रतिकर राशि एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण के संबंध में प्रश्न का निस्तारण किया जा रहा है। इस संबंध में प्रार्थीगण ने दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक के चोटें आना बताया है, जिसके संबंध में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 4 साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसमें उसके शरीर पर चोटें आना अंकित है। मृतक का घटना के पश्चात् इलाज के लिए प्रदर्श पी. 38 के अनुसार दिनांक 14.09.2008 से दिनांक 22.09.2008 तक मित्तल हॉस्पिटल, अजमेर में भर्ती रहना तथा प्रदर्श पी. 39 डिस्चार्ज टिकट यूनिट थर्ड के अनुसार दिनांक 24.09.2008 से दिनांक 10.10.2008 तक एसएमएम अस्पताल जयपुर में भर्ती रहना तथा प्रदर्श पी. 37 के अनुसार कृष्णाा हॉस्पिटल, भीलवाड़ा में दिनांक 14.10.2008 से दिनांक 19.10.2008 तक भर्ती रहना एवं ऑपरेशन होना दृष्टिगोचर होता है।

35. इस प्रकार दवाइयां, विभिन्न जांचे, ऑपरेशन, ब्लड व्यवस्था तथा इलाज

“Authenticated Document”

में, पौष्टिक आहार दूध, फल आदि पर काफी चिकित्सकीय व्यय करना पड़ा हैं। गवाह ने मृतका का दुर्घटना से पूर्व मजदूरी व खेतीबाड़ी का कार्य करना, जिससे उसकी मासिक आय 15,000/–रुपये अर्जित करना बताया है। प्रार्थीगण ने मृतक के आयी चोटों के संदर्भ में कोई निर्योग्यता प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः उक्त साक्ष्य के विवेचन के आधार पर प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि निम्नानुसार तय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

A **धन संबंधित नुकसान हेतु (For Pecuniary Damage)–**

i (a) **इलाज में हुआ वास्तविक खर्चा –** प्रार्थीगण ने मृतक सरदार के प्रदर्श 29 लगायत 48 एवं प्रदर्श 50 लगायत 240 दवाइयों के बिल व पर्चियां आदि पेश की हैं, जिसमें देय बिलों की कुल राशि 74,167/–रुपये होती है। अतः अधिकरण के मत में प्रार्थीगण को राशि **74,167/–**रुपये वास्तविक इलाज के खर्च पेटे दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

(b) **अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान आनुशंगिक खर्चा –** इस मद में प्रार्थीगण की ओर से मृतक सरदार के अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में डिस्चार्ज समरी प्रदर्श 37 से 39 पेश किए गए हैं, जिनमें प्रदर्श 37 कृष्णा हॉस्पिटल, भीलवाड़ा में दिनांक 14.10.2008 को भर्ती होकर दिनांक 19.10.2008 को डिस्चार्ज होने का अंकन है एवं प्रदर्श 38 मित्तल हॉस्पिटल, अजमेर में दिनांक 14.09.2008 को भर्ती होकर दिनांक 22.09.2008 को डिस्चार्ज होने का अंकन है एवं प्रदर्श 39 एसएमएस अस्पताल, जयपुर में दिनांक 24.09.2008 को भर्ती होकर दिनांक 10.10.2008 को डिस्चार्ज होने का अंकन है। इस प्रकार मृतक सरदार के द्वारा विभिन्न अस्पताल में भर्ती रहने के दस्तावेज पेश किए हैं जिससे मृतका सरदार का दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों के कारण विभिन्न अस्पतालों में कुल 32 दिवस भर्ती होने का तथ्य प्रमाणित है। मृतक सदार का कुल 32 दिवस तक उपचारत रहकर भर्ती रहना दर्शाया गया है। इस दौरान मृतक सरदार ने उक्त अवधि में भर्ती रहने के दौरान निश्चित ही पौष्टिक आहार भी लिया होगा, एक व्यक्ति उसकी सुश्रुषा एवं देखभाल के लिए उपस्थित रहा होगा। अतः इस दौरान आनुशंगिक व्यय के रूप पौष्टिक आहार हेतु **600 X 32 =19200/– रुपये** व अटेन्डेंट हेतु **300 X 32 = 9600/– रुपये** कुल **28,800/– रुपये** दिया जाना उचित है। अस्पताल में आने जाने के लिए प्रार्थी द्वारा वाहन पर भी खर्च किया होगा, जिसके संबंध में **5,000/–रुपये** दिलाया जाना उचित है।

ii(a) **अस्पताल में भर्ती रहने व बाद में इलाज के दौरान आय की**

हानि बाबत क्षतिपूर्ति – प्रार्थीगण के द्वारा मृतक सरदार दुर्घटना के फलस्वरूप आयी चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती रहने के संबंध में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, उनसे प्रार्थी का 32 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार मृतक सरदार के दुर्घटना के परिणामस्वरूप आई चोटों के तहत मृतक सरदार का प्रदर्श पी. 37 लगायत 39 के अनुसार कुल 32 दिवस भर्ती होकर इलाजरत रहना प्रमाणित पाया गया है, जिससे उक्त अवधि के दौरान मृतक सरदार अपनी दैनिक मजदूरी करने में असफल रहा है। प्रार्थीगण ने मृतक सरदार का दुर्घटना से पूर्व मजदूरी एवं खेतीबाड़ी करना बताया है तथा मासिक 15,000/–रुपये आय अर्जित करने का भी कथन किया है, परंतु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः घटना की दिनांक 12.09.2008 को राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आहत मुकेश की आय अकुशल श्रमिक के रूप में **100/– रुपये प्रतिदिन** होना माना जाता है। उपरोक्त विवचेनानुसार मृतक सरदार को अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी **प्रतिदिन आय 100/– रुपये निर्धारित की गई है।** मृतक सरदार के शरीर पर आई चोटों के इलाज हेतु 32 दिवस की आय की हानि क्षतिपूर्ति के बतौर प्रार्थी को 100/–रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 100 X 32 = **3,200/– रुपये** दिलवाया जाना अवधारित किया जाता है।

(b) **स्थाई निशक्तता के कारण भविष्य में आय की क्षति के लिए (Permanent Disability & Loss of Income in Future)–** प्रार्थीगण ने मृतक सरदार के स्थायी निर्योग्यता कारित होने बाबत स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को इस हेतु कोई राशि दिलवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

A **धन से भिन्न नुकसान हेतु (For Non– Pecuniary Damage)–**

(i) **मानसिक संताप, कष्ट एवं वेदना –** प्रार्थीगण द्वारा मृतक सरदार के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 4 के अनुसार मृतक सरदार के कुल तीन चोटें कारित होना पाया गया है, जिसमें से दो चोट गंभीर प्रकृति एवं एक चोट साधारण प्रकृति की होना बताई है। मृतक सरदार के शरीर पर आई 01 साधारण चोट के फलस्वरूप 3500/– के हिसाब से कुल **3,500/– रुपये** दिलाया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है। उसके पैर में बायीं फीमर हड्डी में तथा मेन्डीबल (जबड़े) की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है तथा गले में और सांस की नली का डैमेज Pharyngeal rupture और Trachea की मरम्मत की गई, थायराइड की कार्टिलेज को भी क्षति पहुंची है। मृतक के गले में सर्जरी की गई। ट्रैकियोटोमी के

द्वारा कृत्रिम श्वांस नली भी लगाई गई। इस प्रकार मृतक सरदार के शरीर पर आई गंभीर चोटों के फलस्वरूप प्रत्येक चोट के लिए 35,000/– के हिसाब से कुल **70,000/–** रुपये दिलाया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है। मृतक सरदार के शरीर पर आई साधारण व गंभीर चोटों के फलस्वरूप वह कई दिनों तक शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित रहा है तथा अपना दैनिक कार्य नहीं कर पाया है एवं ऑपरेशन भी करवाना पड़ा व 32 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, जिससे वह करीब 12 माह तक कार्य नहीं कर पाया होगा। अतः क्षतिपूर्ति के रूप में 12 माह की मजदूरी करीब **100/–रुपये प्रतिदिन की दर से 30 दिन के (100 X 30 = 3000) अर्थात् 3000 X 12 माह = 36,000/– रुपये** दिलाना उचित है। इसके अतिरिक्त उक्त शारीरिक पीड़ा से उसे जो मानसिक कष्ट, संताप पीड़ा हुई है, उसकी पूर्ति हेतु **25,000/–रुपये** दिलाना उचित है।

36. अतः उक्तानुसार प्रार्थी/आहत को निम्न क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

क्रमांक	**मद**	**क्षतिपूर्ति राशि (रुपये)**
1	इलाज में हुआ वास्तविक खर्च	74,167/– रुपये
2	अस्पताल में भर्ती रहने के दौराने पौष्टिक आहार व अटेन्डेंट हेतु खर्चा	28,800/– रुपये
3	परिवहन हेतु	5,000/– रुपये
4	अस्पताल में भर्ती रहने व बाद में इलाज के दौरान आय की हानि बाबत क्षतिपूर्ति	3200/– रुपये
5	गंभीर एवं साधारण चोट, शारीरिक व मानसिक वेदना, कष्ट एवं संताप हेतु (3500+ 70000+ 36000+ 25000= **134,500/–**)	1,34,500/– रुपये
	कुल	**2,45,667/– रुपये**

37. इस प्रकार मृतक सरदार के चोटिल होने से प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति पेटे कुल **2,45,667**/– रुपये दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः यह बिन्दु इसी प्रकार प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>अनुतोष</u>

38. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण विवाद्यक संख्या 1 व 3 को आंशिक रूप में अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहे हैं तथा विवाद्यक 2 व 5 अप्रार्थी सं. 2

व 3 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं, जबकि विवाक सं. 2 अप्रार्थी सं. 1 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। चूंकि बरवक्त दुर्घटना वाहन ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529 अप्रार्थी सं. 2 व 3 के यहां बीमित होना नहीं पाया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी के दायित्व से अप्रार्थी सं. 2 व 3 को दायित्व मुक्त किया जाता है। अतः प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति के रूप में कुल राशि **2,45,667/– रुपये** अप्रार्थी संख्या 1 से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक **05.07.2017** से वसूली तक देय ब्याज कुल अवार्ड राशि पर 07 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिलाया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्तानुसार प्रार्थीगण की क्लेम–याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। शेष क्लेम साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किया जाता है।

– पंचाट –

39. परिणामस्वरूप क्लेम याचिका संख्या 24/2021 (सीआईएस सं. 125/2017) श्रीमती संतोष देवी व अन्य बनाम देवनारायण व अन्य उक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 से कुल राशि **2,45,667/– रुपये** प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

40. अतः अप्रार्थी संख्या (1) देवनारायण पुत्र श्री विश्राम उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी ग्राम नोहरिया पुलिस थाना बांदरसिंदरी, जिला अजमेर (राज.) **(वाहन चालक व स्वामी ट्रेलर नंबर आर.जे.–01–जी.ए.–3529)** के विरूद्ध क्लेम याचिका संख्या 24/2021 (सीआईएस सं. 125/2017) श्रीमती संतोष देवी व अन्य बनाम देवनारायण व अन्य में कुल राशि **2,45,667/– रुपये** प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक **05.07.2017** से वसूली तक देय ब्याज कुल अवार्ड राशि पर 07 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा किए जाने का अंतिम पंचाट पारित किया जाता है।

41. **अप्रार्थी सं. (2)** रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जरिए क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय शाखा कार्यालय–II फ्लोर, अमर प्लाजा, जेएलएन हॉस्पिटल के पास, अजमेर, जिला अजमेर (राज.) **(बीमाकर्ता ट्रेलर नंबर आर.जे.–01–जी.ए.–3529) एवं (3)** नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. अजमेर मण्डल जरिए प्रबंधक पता कचहरी रोड अजमेर जिला अजमेर (राज.) **(बीमाकर्ता ट्रेलर नंबर आर.जे.–01–जी.ए.–3529)** के यहां ट्रेलर सं. आर.जे.–01–जी.ए.–3529 का बीमित होना नहीं पाए जाने से क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी के दायित्व से अप्रार्थी सं. 2 व 3 को

दायित्व मुक्त किया जाता है।

42. प्रार्थीगण द्वारा दोषरहित दायित्व के तहत पूर्व में कोई राशि प्राप्त कर ली गई है तो क्षतिपूर्ति की राशि में से समायोजन कर शेष राशि प्रार्थीगण को दी जाये एवं इसी प्रकार से पूर्व प्रदत्त किसी ब्याज की राशि का समायोजन इसकी गणना के समय किया जावे। उक्त प्रतिकर राशि का भुगतान होने पर प्रार्थीगण वारिसान प्रतिकर राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकारी होंगे। प्रार्थीगण द्वारा अपने बैंक खाता की पासबुक व खाता संख्या के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। अतः उक्त राशि अधिकरण के खाते में जमा होने पर प्रार्थीगण द्वारा वैध खाता सं. पेश करने पर प्रार्थीगण को प्रतिकर राशि का भुगतान निम्न प्रकार किये जाने का आदेश दिया जाता है–

क्र.सं.	नाम प्रार्थीगण	आयु	बचत खाते में नकद देय राशि (रूपये में)	सावधि खाते में जमा निवेशित राशि	राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि की अवधि
1	संतोष देवी पत्नी स्व. श्री सरदार	47 वर्ष	**50% मय ब्याज**	**30%**	**01 वर्ष**
2	रामकुंवार पुत्र स्व. श्री सरदार	27 वर्ष	**10%**	**–**	**–**
3	रघुवीर पुत्र स्व. श्री सरदार	25 वर्ष	**10%**	**–**	**–**

43. प्रार्थीगण को प्राप्त होने वाली प्रतिकर राशि पर अर्जित संपूर्ण ब्याज राशि का भुगतान प्रार्थीगण को उनके बचत खाते के माध्यम से किया जायेगा।

44. प्रार्थीगण को स्वयं के सावधि जमा राशियों पर त्रैमासिक अंतराल पर ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा। सावधि जमा योजनाओ में जमा राशियों को इस अधिकरण की इजाजत के बिना विभाजित, अंतरित एवं प्रभावित नहीं किया जायेगा ना ही अधिकरण की अनुमति के बिना प्रार्थीगण सावधि जमा राशियों का अवधि पूर्व भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।

45. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6237/2017 ICICI Lombard General Insurance बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के दिशा–निर्देशों की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है कि वह कुल अवार्ड राशि एवं ब्याज का भुगतान 02 माह में करे एवं इस हेतु अधिकरण के खाता संख्या 21054002293, राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा किशनगढ, भाट मौहल्ला ओपोजिट स्वास्तिक टायर मदनगंज किशनगढ जिला

अजमेर, IFSC Code – RMGB0001054 में जरिये NEFT/RTGS जमा कराये व विहित प्रारूप में इसकी सूचना अधिकरण को उपलब्ध करवाई जावे। साथ ही जमा अवार्ड की सूचना की प्रति प्रार्थीगण वारिसान को दी जावे। तद्नुसार अंतिम पंचाट नियमानुसार तैयार किया जावे। यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण वारिसान अविलंब अपने रजिस्टर्ड बैंक के बचत खाता के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति जिस पर प्रार्थीगण वारिसान की बैंक द्वारा प्रमाणित फोटो लगी हो अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे। न्यायालय में पेश होने पर व अवार्ड राशि जमा होने पर प्रार्थीगण वारिसान के पक्ष में पारित अवार्ड राशि उसके बैंक खाते में जमा करवाने हेतु बैंक को सूचना दी जावे।

(शालिनी शर्मा)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2
किशनगढ़ जिला अजमेर।

46. निर्णय व पंचाट आज दिनांक 15.05.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शालिनी शर्मा)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2
किशनगढ़ जिला अजमेर।

GANPAT SINGH SOLANKI

Steno Gr. II
"Authenticated Document"
Digitally signed by GANPAT SINGH SOLANKI
Date: 2026.05.19 13:00:56 +0530